पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों का विवरण

1. डिग्री कोर्स साढे चार वर्षीय पाठयक्रम

1. बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बी.पी.टी

बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बी.पी.टी चार साल का डिग्री पाठयक्रम है। चार साल के इस कोर्स के पश्चात उम्मीदवार को फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए 6 महिने की इन्टर्नशिप करना आवश्यक है। चिकित्सा महाविद्यालय के प्राध्यापक,सह प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक एवं अन्य योग्य तथा प्रशिक्षित शिक्षको के माध्यम से किया जाता है। यहां पर उच्च स्तरीय शिक्षण एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। मेडिकल छात्रों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली प्रायोगशालाओ में ही इन छात्रो को प्रायोगिक शिक्षा दी जाती है। चिकित्सा महाविद्यालय में बडी संख्या में आने वाले रोगियों का भी इन्हे प्रशिक्षण में लाभ मिलता है। अस्पातालो के टीम वर्क में इनकी अहम भूमिका होती है।इसके अलावा वे शहरों एवं कस्बों में स्वयंम का फिजियोथेरपी सेन्टर भी खोल सकते है । बी.पी.टी. कोर्स के पश्चात् छात्र एम.पी.टी. कोर्स के लिए नामांकन करा सकते है। तत्पषचात् चिकित्सा महाविद्यालयों में चल रहे बी.पी.टी पाठयक्रमों मे टीचिंग पद पर इनकी नियुक्ति की जा सकती है। आजकल के खेल–कूदों में फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता बढ़ती जा रही है । कुशल फिजियाथेरेपिस्ट की मांग विदेशो में भी है।

2. डिप्लोमा कोर्स दो वर्षीय पाठयक्रम

2. डिप्लोमा इन एक्स–रे टेक्नीशियन

इस पाठयक्रम मे छात्रें को शरीर की संरचना का मूलभूत ज्ञान दिया जाता है इसके पश्चात एक्सरे में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरणों की तकनीकी जानकारी दी जाती है। विभिन्न प्रकार के मरीजो की इस विभाग के अंतर्गत किस प्रकार जांच की जाती है इसका विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाता है। रोजगार के अवसरः– रेडियोग्राफर प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति को शासकीय एवं निजी अस्पातालो में रोजगार का काफी अवसर उपलब्ध रहते है।

3. डिप्लोमा इन मेडिकल लेब टेक्नीशियन

इस पाठयक्रम में छात्रें को विभिन्न प्रकार के मरीजो में की जाने वाली जांचो जैसेः– ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, साईटोलॉजी, हिस्टो–पैथालॉजी इत्यादि में लैब टेक्नीश्यिन की भूमिका पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान इन छात्रें को चिकित्सा महाविद्यालय मे उपलब्ध अत्याधुनिक मशीनो पर कार्य

करने का अवसर मिलता है। रोजगार के अवसरः— प्रशिक्षित लैब टेक्नीशियन के रोजगाार के लिए सरकारी अस्पतालों एवं निजी अस्पतालों में आवश्यकता पड़ती है। प्राइवेट पैथालॉजी लैब में भी ये पैथलॉजिस्ट के अधीन कार्य कर सकते है।

4. डिप्लोमा इन ऑप्थैलिमिक असिस्टेंट (नेत्र सहायक)

नेत्र सहायक के प्रश्क्षिण के दौरान नेत्र संरचना एवं उसकी कार्यप्रणाली का मूलभूत ज्ञान दिया जाता है प्रश्क्षिण के दौरान उन्हें नेत्र रोगियों का प्रारंभिक परीक्षण विजन रिंकार्डिग, नेत्र रोगियो का प्राथमिक उपचार, जटिल नेत्र रोगियो के लक्षण, स्कूली छात्रें को नेत्र परीक्षण विभिन्न समुदायों में नेत्र रोगियों का सर्वेक्षण आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें नेत्र शिविर के आयोजन में सहयोग देने एवं नेत्र ऑपरशन में नेत्र सर्जन को सहायता का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पैरामेडिकल ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट के रूप में इनकी नियुक्ति की जा सकती है।

5. डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन

डायलिसिस एक चमत्कारी प्रक्रिया है। जो किडनी के मरीजो के लिए एक वरदान है। इस कोर्स में डायलिसिस संबंधी मशीनो की जानकारी आर.ओ. प्लांट के वाटर डायलिसिस से क्या सबंध है। इस विषय में जानकारी दी जाती है। वार्डो में भर्ती डायलिसिस के मरीजों की देखरेख संबधी जानकारी भी दी जाती है। रोजगार के अवसर— डायलिसिस प्रशिक्षण प्राप्त छात्रें को शासकीय एवं निजी कम्पनियों में रोजगार के सभी अवसर उपलब्ध रहते है।

3. सर्टिफिकेट कोर्स एक वर्षीय

1. **ओ.टी. टेक्नीशियन**

इस पाठयक्रम में आपरेशन थियेटर के उपयोग में लाये जाने वाले उपकरणों एवं विभिन्न सामग्रियों के संबध में प्रशिक्षण दिया जाता है प्रशिक्षण के पश्चात ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति आपरेशन थियेटर में ओ.टी असिस्टेंट का कार्य कर सकतें है।

डॉ0 नवनीत सक्सेना — अधिष्ठाता एवं अध्यक्ष
डॉ0 के.के. दरयानी — कोऑर्डिनेटर
डॉ0 संजय गेडाम — सब—कोऑर्डिनेटर

(1) सदस्य

चयन समिति

डॉ0 पी.के कसार	चेयरमैन
डॉ0 एल.एस मरावी	सदस्य
डॉ0 श्रीमति रेखा अग्रवाल	सदस्य
डॉ0 के.के. पाण्डे	सदस्य
डॉ0 राधिका नंदवानी	सदस्य
डॉ0 संदीप सिंह	सदस्य
डॉ0 रश्मी नायक	सदस्य

(2) कोर्स इंचार्ज

1. **<u>डिग्री पाठ्यक्रम</u>**

1. बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (भौतिकी चिकित्सा स्नातक)	डॉ0 एच0 एस0 वर्मा प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष डॉ0 के.के पाण्डे,सहप्राध्यापक अस्थिरोग कोआर्डिनेटर बी.पी.टी अस्थिरोग विभाग

2. <u>डिप्लोमा पाठ्यक्रम</u>

3. ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट	डॉ0 यू.पी दिपांकर, सहप्राध्यापक नेत्र रोग विभाग
4. एक्सरे रेडियोग्राफर	डॉ0 श्रीमति रेखा अग्रवाल सह– प्राध्यापक रेडियॉलोजी विभाग
5. मेडिकल लैब टेक्निशियन	डॉ0रश्मी नायक सह–प्राध्यापक पैथोलॉजी विभाग
6. डायलिसिस टेक्निशियन	डॉ0 संदीप सिंह सह–प्राध्यापक मेडिसिन विभाग

2. <u>सर्टिफिकेट कोर्स</u>

7. ओ.टी. टेक्निशियन — डॉ0 अर्जुन सक्सेना
सह–प्राध्यापक — सर्जरी विभाग

पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीट
वर्ष 2019–20

1. डिग्री कोर्स (साढ़े चार वर्षीय पाठ्यक्रम)

क्रं.	कोर्स	विभाग	कुल सीट	विभागीय	अन्य
1	बेचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (भौतिकी चिकित्सा स्नातक)	ऑर्थोपेडिक्स विभाग	50	05	45

2. डिप्लोमा कोर्स (दो वर्षीय पाठ्यक्रम)

क्रं.	कोर्स	विभाग	कुल सीट	विभागीय	अन्य
1	एक्सरे टेक्निशियन	रेडियोडायग्नोसिस विभाग	30	03	27
2	मेडिकल लैब टेक्निशियन	पैथालॉजी विभाग	50	05	45
3	ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट	नेत्र रोग विभाग	30	03	27
4	डायलिसिस टेक्निशियन	मेडिसिन विभाग	30	03	27

3. सर्टिफिकेट कोर्स (एक वर्षीय पाठ्यक्रम)

क्रं.	कोर्स	विभाग	कुल सीट	विभागीय	अन्य
1	ओ.टी. टेक्निशियन	सर्जरी विभाग	30	03	27

<u>नोटः—</u>न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (सभी पाठ्यक्रमों के लिए)—बायलॉजी समूह के बारहवी कक्षा उत्तीर्ण। साथ ही बारहवी कक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अनारक्षित वर्ग के छात्रें को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक आरक्षित वर्ग के आवेदको के लिए होना आवश्यक है। ***<u>ऐसे छात्र जो बारहवी कक्षा, लेबोरेटरी मेडिसन, क्लीनिकल बायोकेमिस्ट्री एवं माईक्रोबायोलॉजी से उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे छात्रें को सिर्फ मेडिकल लैब टेक्निशियन पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता होगी।</u>***

<u>उपलब्ध सीटों में आरक्षण</u>

1. डिग्री कोर्स (साढ़े चार वर्षीय पाठ्यक्रम)

क्रं.	कोर्स	कुल सीट	अनारक्षित	अनु. जनजाति (20 प्रतिशत)	अनु.जाति (16 प्रतिशत)	अन्य पिछडा वर्ग (14 प्रतिशत)
1	बेचलर ऑफ फिजियोथेरेपी	45	23	09	07	06
			F-7	F-3	F-2	F-2

2. डिप्लोमा कोर्स (दो वर्षीय पाठ्यक्रम)

क्रं.	कोर्स	कुल सीट	अनारक्षित	अनु.जनजाति (20 प्रतिशत)	अनु.जाति (16 प्रतिशत)	अन्य पिछडा वर्ग (14 प्रतिशत)
1	एक्सरे रेडि. टेक्निशियन	27	14	05	04	04
			F-4	**F-1**	**F-1**	**F-1**
2	मेडिकल लैब टेक्निशियन	45	23	09	07	06
			F-7	**F-3**	**F-2**	**F-2**
3	ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट	27	14	05	04	04
			F-4	**F-1**	**F-1**	**F-1**
4	डायलिसिस टेक्निशियन	27	14	05	04	04
			F-2	**F-1**	**F-1**	**F-1**

3. <u>सर्टिफिकेट कोर्स</u>

क्रं.	कोर्स	कुल सीट	अनारक्षित	अनु. जनजाति (20	अनु.जाति (16 प्रतिशत)	अन्य पिछडा वर्ग (14 प्रतिशत)
1	ओ.टी. टेक्निशियन	27	14	05	04	04
			F-4	**F-1**	**F-1**	**F-1**

<u>नोटः—</u> महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार 30 प्रतिशत आरक्षण सभी वर्गो में उपलब्ध कराया जावेंगा।

पाठ्यक्रम में लगने वाली शुल्क का विवरण।

मध्यप्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा निर्धारित शुल्क का विवरण।

प्रशिक्षण शुल्क (प्रतिवर्ष)

पाठ्यक्रम	शिक्षण शुल्क
1. डिग्री पाठ्यक्रम (साढ़े चार वर्षीय पाठ्यक्रम) 2. डिप्लोमा पाठ्यक्रम (दो वर्षीय पाठ्यक्रम) 3. सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम (एक वर्षीय पाठ्यक्रम)	57,150/— 35,670/— 24,930/—

अन्य शुल्क

डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम	अन्य शुल्क	
	प्रति वर्ष	एक बार दिया जाने वाला शुल्क
सुरक्षा निधि (वापिसी योग्य)		5,000/—
खेल कूद मनोरंजन शुल्क	1,000/—	
आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	1,000/—	
प्रयोगशाला एवं सामग्री	1,000/—	
कुल (अन्य शुल्क 1 वर्षीय)	3,000/—	5,000/—

<u>विशेष नोटः—</u>

1. एक बार दिया जाने वाला शुल्क सिर्फ प्रवेश के समय लिया जावेगा।
2. प्रवेश के समय छात्रें को पूर्ण शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क जमा करना अनिवार्य है।
3. द्वितीय वर्ष एवं तदुपंरात शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु प्रतिवर्ष जुलाई/अगस्त माह में जमा करना अनिवार्य है। विलंब से फीस जमा करने पर जितने माह विलंब से जमा करेगें, उतने ही प्रतिशत विलंब शुल्क देना होगा।

4. नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय शासकीय स्वशासी संस्था है। जिसमे संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रम स्वशासी संस्था का पूर्णतः स्ववित्तीय (Self Finance) पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम हेतु मध्य प्रदेश शासन से किसी भी प्रकार का अनुदान प्राप्त नहीं होता है।
5. ***पैरामेडिकल पाठ्यक्रम स्वशासी संस्था का स्ववित्तीय पाठ्यक्रम है। अतः पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के अतंर्गत मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार ग्रीन कार्ड के तहत् शिक्षण शुल्क में किसी भी प्रकार की छूट की पात्रता नहीं होगी एवं आवेदकों द्वारा किसी भी प्रकार का न्यायलय में दावा मान्य नहीं किया जायेगा। उक्त कंडिका नोट कं. 4 का आवेदकों द्वारा खंडन किया जाता है, तो आवेदक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार संस्था प्रमुख को होगा।***
6. विद्यार्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया प्रवेश के समय जमा किये जाने वाले समस्त (Original) मूल दस्तावेजो को, पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक, कार्यालय के रिकार्ड फाईलों में जमा किये जायेंगे। (सभी मार्कशीट/प्रमाण पत्र आदि) समस्त जमा किए जाने वाले दस्तावेजो की अलग से 10—10 सेट छायाप्रतियॉ तथा स्कैन पी.डी.एफ फाइल आवेदकों को अपने पास सुरक्षित रखना होगा। क्योकि कोर्स अवधि के दौरान कार्यालय में जमा मूल दस्तावेजों रिकोर्ड से कभी भी कोई मूल अथवा छायाप्रति प्रदान नहीं की जायेगी। यदि जमा मार्कशीट/प्रमाण पत्रें की छायाप्रतियां अत्यंत आवश्यकता दर्शाते हुए, किसी विद्यार्थी द्वारा चाही गई तो उसके लिये विद्यार्थी को आवेदन के साथ 100/— रू. फोटोकापी की छायाप्रति का शुल्क जमा करना होगा।
7. नवीन सत्र प्रारंभ होने के एक माह के अंदर कोर्स का वार्षिक शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। छात्रवृति विलंब से प्राप्त होने या किसी कारणवश न आने की स्थिति फीस स्वयं वहन करनी होगी। एवं परीक्षा मे बैठने की पात्रता तभी होगी जब कोर्स की पूरी फीस जमा होगी ।

<u>नोटः—</u> 1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रो को म0प्र0 शासन के नियमानुसार छात्रवृति की पात्रता होगी, यदि सबंधित विभाग द्वारा छात्रवृति स्वीकृत नही कि जाती है तो छात्रो को समस्त शुल्क स्वंय वहन करना होगा।

2. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा छात्रवृति के माध्यम से छात्रवृति की पात्रता रखने वाले छात्रे को कोर्स मे लगने वाली फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है। म.प्र. शासन द्वारा पैरामेडिकल कोर्स की फीस मे वृद्धि की गई है, यदि सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा फीस मे की गई वृद्धि के अनुरूप फीस की प्रतिपूर्ति नही की जाती है तो छात्र को स्वंय फीस वहन करनी होगी।
3. **छात्रवृति हेतु डिजिटल जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।**

4. ऐसे सभी छात्र–छात्रओं को जिन्हे शिक्षण शुल्क में छूट की पात्रता होगी उन्हे अदिम जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्धारित छात्रवृत्ति फार्म निर्धारित समयवधि प्रवेश से एक माह तक में आवेदन करना होगा एवं समय–समय पर छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरना हेागा। छात्रवृति फार्म न भरे जाने के कारण संबधित छात्र–छात्रओ को कोर्स की फीस स्वयं वहन करनी होगी।
5. **छात्रवृति की पात्रता रखने वाले छात्रे की उपस्थिति 75 प्रतिशत होना अनिवार्य है। उपस्थिति कम होने की स्थिति में छात्रवृति की पात्रता नही होगी। एवं सम्बधित छात्र को फीस स्वयं वहन करनी होगी।**

<u>प्रवेश के समय लगने वाली शुल्क की जानकारी।</u>

1. डिग्री कोर्स साढें चार वर्षीय पाढ्यक्रम

वर्ष		शुल्क
पहले वर्ष में	प्रवेश के समय दो सप्ताह के अन्दर	65,150/–
दूसरे वर्ष में	नम्वबर/दिसम्बर 2018	60,150/–
तीसरे वर्ष में	नम्वबर/दिसम्बर 2019	60,150/–
चौथे वर्ष में	नम्वबर/दिसम्बर 2020	60,150/–

2. डिप्लोमा पाठयक्रम (दो वर्षीय पाठयक्रम)

वर्ष		शुल्क
पहले वर्ष में	प्रवेश के समय दो सप्ताह के अन्दर	**43,670/–**
दूसरे वर्ष में	नम्वबर/दिसम्बर 2018	**38,670/–**

3. सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम (एक वर्षीय पाठ्यक्रम)

वर्ष		शुल्क
1 वर्ष में	प्रवेश के समय (दो सप्ताह के अन्दर)	**32,930/–**

प्रवेश के लिए आवश्यक अर्हताए

1. आवेदक को 12 वी कक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा बायोलॉजी समूह (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान) से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, साथ ही इस परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अनारक्षित वर्ग के छात्रें को एवं न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक अनारक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए होना आवश्यक है।***ऐसे छात्र जो बारहवी कक्षा, लेबोरेटरी मेडिसन, क्लीनिकल बायोकेमिस्ट्री एवं माईक्रोबायोलॉजी से उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे छात्रें को सिर्फ मेडिकल लैब टेक्निशियन पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता होगी।***

2. आवेदक की आयु 31 अगस्त 2019 को 17 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।

3. मध्य प्रदेश के मूलनिवासी को प्रवेश में वरीयता दी जावेगी। म.प्र. के मूल निवासी को मेरिट लिस्ट पूर्ण हो जाने पर भी यदि किसी पाठ्यक्रम में सीट रिक्त रह जाती है, तो प्रदेश के बाहर के आवेदकों को प्रवेश दिया जावेगा।

4. पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेशित अनारक्षित श्रेणी के प्रवेश पाने वाले अभ्यार्थियों को प्रवेश नियमावली में दर्शायनुसार वार्षिक शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। इसमें किसी भी प्रकार की रियायत या छूट नहीं होगी तथा **ग्रीन कार्ड** के तहत् पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में शुल्क छूट की पात्रता नहीं होगी।

5. ऐसे आवेदक जो किसी स्वास्थ विभाग के अंतर्गत कार्यरत विभागीय कर्मचारी है, वह अपने आवेदन पत्र के साथ संचालक स्वास्थ सेवायें से **अनापत्ति प्रमाण (एन.ओ.सी.)** पत्र प्राप्त कर उचित माध्यम से प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करें। (आवेदक द्वारा आवेदन किये गये फार्म पर मूलतः विभाग से प्राप्त एन.ओ.सी. की छायाप्रति संलग्न नहीं कि जाती है, तो आवेदक का फार्म जमा/स्वीकार्य नही किया जायेगा तथा इस इस संस्था की कोई जबावदारी नहीं होगी।) विभागीय उम्मीदवारों (स्वास्थ एवं चिकित्सा द्विक्षा विभाग) के लिए पाठ्यक्रम में 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। चयनित कर्मचारियों को अपने विभाग से **ऑरिजनल नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट(एन.ओ.सी.)** प्रस्तुत करना होगा।

6. उम्मीदवार का कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साफ एवं स्पष्ट होना चाहिए, धुंधला एवं अस्पष्ट फोटो वाला फार्म स्वीकार नहीं होगा। फोटोग्राफ 3 माह से अधिक पुराना नही होना चाहिए, फोटोग्रफ के नीचे नाम एवं दिनांक अंकित होनी चाहिए। फोटो के पीछे का बैकग्राउंड वाइट (सफेद) होना चाहिए। आवेदक ने जो फोटोग्राफ आवेदन फार्म में लगाया है वही फोटोग्राफ लाइब्रेरी, स्कालरशिप, परीक्षा एवं अन्य जो भी फार्म भरवाये जायेगें सभी में वही फोटो लगाना होगा। किसी भी स्थिति में बदले हुए फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किये जायेगे।

चयन प्रणाली

आवेदको का चयन बारहवी (10़2) बायलॉजी समूह अर्हकारी की परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर तैयार मेरिट के अनुसार किया जावेगा। मेरिट के अनुसार आवेदकों को काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जावेंगा। ***सुबह 10:30 बजे से दिनांक 18 सितंबर–2019 को अराक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग तथा दिनांक 19 सितंबर–2019 को अनारक्षित वर्ग के लिए काउंसलिंग आयोजित की जावेंगी।*** काउंसलिंग के दौरान विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत उपलब्ध पाठ्यक्रमों (डिग्री/डिप्लोमा) की उपलब्ध सीटों को प्रदर्शित किया जावेगा तथा मेरिट के आधार पर आवेदक को अपनी इच्छानुसार पाठ्यक्रम चयन करने की स्वतंत्रता होगी। ***18 सितंबर–2019*** की काउंसलिंग प्रकिया में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछडा वर्ग एवं उसके पश्चात् ***दिनांक 19 सितंबर–2019*** को अनारक्षित वर्ग उम्मीदवारों को मेरिट अनुसार बुलाया जावेंगा।

काउंसलिंग के प्रथम चरण में स्कुटिनी समिति द्वारा उम्मीदवारों के निम्नलिखित मूल (Original) दस्तावेजों की जांच की जावेंगी।

1. 12 वी कक्षा की अंक सूची।
2. स्थानांतरण प्रमाण पत्र।

3. जन्मतिथि प्रमाण पत्र।
4. जाति प्रमाण पत्र केवल अराक्षित वर्ग के लिए
5. मूलनिवासी प्रमाण पत्र
6. आय प्रमाण पत्र केवल अराक्षित वर्ग के लिए
7. माईग्रेशन प्रमाण पत्र (सी.बी.एस.ई. बोर्ड से पास या अन्य विश्वविद्यालय व ओपन के छात्रो के लिए)
8. विभागीय कर्मचारियो के लिए एन. ओ. सी. की मूलप्रति आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य है।
9. आधार कार्ड मूलप्रति आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य है।
10. समग्र आई डी छायाप्रति आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य है।
11. बैंक पास बुक की मूलप्रति आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य है। (कियोस्क बैंक खाता स्वीकार नही होगा।)
12. गेप एफिडेविड सार्टिफिकेट (यदि अध्ययन के दौरान गेप हुआ है तो)

स्कूटनी समिति द्वारा उपयुक्त पाये जाने पर उम्मीदवारी का काउंसलिंग के दूसरे चरण, पाठ्यक्रम चयन में भाग लेने की पात्रता होगी।

ऐसे उम्मीदवार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि जो मेरिट के अनुसार अपनी बारी आने पर निर्धारित तिथि एवं समय पर अभिलेखो की जांच एवं निर्धारित तिथि एवं समय पर काउंसलिंग हेतु उपस्थित नहीं होते है, तो उनके स्कूटिनी काउंसलिंग तथा प्रवेश के सभी अधिकार समाप्त हो जावेंगे।

काउंसलिंग उपरांत रिक्त सीटों पर प्रवेश महाविद्यालय के निर्णय अनुसार दिया जावेंगा। यदि आरक्षण के अनुसार किसी आरक्षित श्रेणी में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों को अन्य श्रेणियों में निम्नानुसार परिवर्तित कर भरने की कार्यवाही की जावेंगी।

1. अनुसूचित जनजाति की रिक्त सीट, अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरी जावेंगी।
2. अनुसूचित जाति की रिक्त सीट, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरी जावेंगी।
3. यदि अनुसूचित जाति एवं जनजाति दोनों श्रेणियों के पात्र उम्मीदवार उनकी अराक्षित सीटों की पूर्ति के लिए उपलब्ध नहीं होते है, तो ऐसी स्थिति में आरक्षित रिक्त सीटो की पूर्ति अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के पात्र उम्मीदवार से की जावेंगी।
4. यदि तीनों आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत पात्र उम्मीदवार उपरोक्तानुसार उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों की पूर्ति अनारक्षित श्रेणी के पात्र उम्मीदवार से की जावेंगी।
5. यदि एक से ज्यादा उम्मीदवारों के अंक समान है, तो इस स्थिति में वह उम्मीदवार जिसके जीव विज्ञान में ज्यादा अंक है, उसे प्रथामिकता दी जावेगी, यदि उसमें भी समानता पायी जाये तो रसायन विज्ञान के अंको द्वारा उसे प्राथमिकता दी जावेंगी और अगर उसमे भी समानता पायी जाये तो फिर भौतिकशास्त्र के अंको द्वारा उसे प्राथमिकता दी जावेंगी। यदि इस आधार पर भी उम्मीदवारों की वरीयता पर निर्णय नहीं हो पाता है, तो **अधिक उम्र वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेंगी । चयनित आवेदको को प्रवेश के समय फीस के अलावा दस्ताावेजों की मूलप्रति एवं एक सेट सभी दस्तावेजो की छायाप्रति के बगैर प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।**
6. एक बार काउंसलिंग के दौरान कोर्स चयन करने के उपरांत यदि कोर्स बदला जाता है तो कोर्स बदलने का शुल्क 2000/— देय होगा।
7. द्वितीय काउंसलिंग पश्चात भी यदि किसी विषय में सीट रिक्त रह जाती है, तो दो माह के अंदर कोर्स हेतु आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन पत्र के आधार पर प्रवेश दे दिया जायेगा।
8. प्रवेश के पश्चात यदि किसी कारणवश कोर्स छोड़ा जाता है तो कोर्स छोड़ने की फीस रू 2000/— जमा करने के पश्चात ही मूलदस्तावेज वापिस किये जावेगे। कोर्स केवल प्रथम काउॅसिलिंग के पश्चात् ही छोड़ा जा सकता है।

अनुशासन नियंत्रण

सभी छात्र/छात्र संस्था प्रमुख के अनुशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। तथा महाविद्यालय के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा, यदि किसी छात्र/छात्र का आचरण महाविद्यालय के नियमों के विपरीत पाया गया तो, उसके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अनुशासन समिति की अनुशंसा पर की जावेंगी या पाठ्यक्रम के दौरान कभी भी उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। यदि किसी भी कारणवश प्रवेश निरस्त किया जाता है, तो कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जावेंगा।

संस्था प्रमुख को यह अधिकार होगा कि, किसी भी शैक्षणिक सत्र में किसी भी छात्र–छात्रओं को अनुशासनहीनता अथवा आचरणहीनता के कारण पाठ्यक्रम से निष्कासित किया जा सकता है।

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के छात्रो को पूरे समय संस्था द्वारा निर्धारित नीले रंग के एप्रेन एवं नाम पट्टिया धारण करना आवश्यक होगा।

अनुशासन समिति

1. डॉ0 पी0 के0 कसार
2. डॉ0 एच एस वर्मा
3. डॉ0 विजय श्रीवास्तव
4. डॉ0 यू0पी. दीपांकर
5. डॉ0 गोपाल मरावी
6. डॉ0 लक्ष्मी सिंगोतिया

<u>सामान्य निर्देश</u>

1. यदि कोई आवेदक प्रवेश पश्चात् पाठ्यक्रम अवधि के दौरान किसी भी कारण से आवंटित सीट छोडता है अथवा बिना सूचना दिए 45 दिन से ज्यादा समय तक अनुपस्थित रहता है, तो इस स्थिति में छात्र/छात्र का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा समस्त फीस राजसात कर ली जावेंगी। जिसके लियें विद्यार्थी स्वंय उत्तरदायी होगा।
2. प्रवेश के समय रूः 5000/— सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा पाठ्यक्रम अवधि के पश्चात् यह राशि छात्र/छात्र को बिना ब्याज के देय होगी। साथ ही किसी कारणवश छात्र/छात्र द्वारा अपना पाठ्यक्रम निर्धारित अवधि के पूर्व छोडने की स्थिति में सुरक्षा निधि की राशि राजसात कर ली जावेंगी।

   <u>नोटः—</u> शिक्षण सत्र के दौरान होने वाले नुकसान की पूर्ति सुरक्षा निधि मे जमा राशि से की जावेगी तथा शेष राशि सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण होने के बाद वापिस की जावेंगी।
3. प्रवेश के समय जमा किये गये समस्त मूल अंकसूची/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम अवधि समाप्त होने के पश्चात् ही वापस किये जावेंगे। पाठ्यक्रम अवधि के दौरान मूल अंकसूची एवं प्रमाण पत्र किसी भी कारण से वापस नहीं दिये जायेंगे।
4. छात्रें से समय—समय पर नामांकन शुल्क एवं परीक्षा फीस ली जावेगी।
5. पैरामेडिकल के छात्रो को महाविद्यालय में हॉस्टल सुविधा उपलब्ध नहीं है।
6. मूल निवासी प्रमाण पत्र जिले के कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है।
7. चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर को पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों से संबंधित नियम बनाने एवं पुराने नियमों में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार होगा।
8. किसी प्रकार के मतभेद की स्थिति में वह जबलपुर न्यायालयीन क्षेत्र के अंतर्गत होगा।
9. छात्रवृति हेतु डिजीटल जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है ।
10. आरक्षित श्रेणी के सभी उम्मीदवारों को अभिभावक/पालक की समस्त स्त्रोतो से प्राप्त आय संबंधी आय प्रमाण पत्र शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही जिन विद्याार्थियो के पालक/अभिभावक शासकीय कर्मचारी है, उन्हे उनके विभाग में संबंधित इन्कम टैक्स फार्म 16 की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिन्हे शासन द्वारा छात्रवृत्ति कि पात्रता होगी उनसे भी पाठ्यक्रम अवधि के दौरान बीच में सीट छोडने पर प्रशिक्षण अवधिःतक जिसमें वह अनुपस्थित रहा। अध्ययन का शुल्क वसूला जाएगा।

12.पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर लेने के बाद केवल प्रथम काउंसिलिग के बाद पाठ्यक्रम छोडने पर उम्मीदवार से प्रवेश निरस्त प्रक्रिया शुल्क 2000/— प्रथक से वसूला जाएगा।

13.किसी भी शैक्षणिक सत्र में होने वाली परीक्षा में बैठने की पात्रता उन्ही छात्रें को हेागी जिन्होने वाषिक शुल्क जमा कर दिया होगा।

14.पूर्व में अघ्यनरत रहने वाले छात्र—छात्रओं को नवीन शैक्षणिक सत्र में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

15.अन्य पिछडा वर्ग के छात्र—छात्रऐं जिन्हे शासन द्वारा आय के आधार पर छात्रवृत्ति की पात्रता है को एक पाठ्यक्रम के अलावा अन्य पाठ्यक्रमों में दूबारा प्रवेश प्राप्त करने पर पुनः छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। उन्हे पूरा शिक्षण शुल्क वहन करना होगा।

16.ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने विगत वर्षो में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के कोर्स में प्रवेश प्राप्त कर अनिवार्य शुल्क में शासकीय योजनाओं के अंतर्गत छूट प्राप्त की गई है, उन्हे इस सत्र में पाठ्यक्रम के किसी भी कोर्स में प्रवेश लेने पर उपरोक्त शासकीय योजनाओं के अंतर्गत छूट की पात्रता नियमानुसार नहीं होगी ऐसे छात्र/छात्रओं लगने वाले समस्त अनिवार्य शुल्क स्वंम जमा करने होंगें ।

17.अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के ऐसे छात्र—छात्रऐं जिन्हे शासन द्वारा आय के आधार पर छात्रवृत्ति कि पात्रता है, को इस संस्था में प्रथम बार पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर शिक्षण शुल्क में छूट की पात्रता होगी, दूसरी बार पुनः पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने पर समस्त शिक्षण शुल्क का भुगतान स्वंय करना होगा।

18.छात्र—छात्रओं द्वारा प्रवेश लेने के उपंरात यदि बीच में कोर्स छोड़ा जाता है, तो कोर्स छोड़े जाने की अवधि तक की फीस जमा करने के उपंरात ही मूल दस्तावेज वापिस किये जावेगें।

19.आवास भत्ता की पात्रता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा के नियमानुसार देय होगी।

आवश्यक निर्देश

1. ***रूपये 500/– का वाउचर पेरामेडिकल कार्यालय से प्राप्त कर बैंक आफ बडोदा में जमा करने के उपरांत वाउचर की प्रति उपलब्ध कराने पर आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि 20/08/2019 समय 10:30 से एवं जमा करने की अंतिम तिथि 31/08/2019 को शाम 5:30 बजे तक है। बिलंब शुल्क 200/– के साथ फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 07/09/2019 शाम 5:30 बजे तक है।***

2. आवेदन पत्र को प्रत्यक्ष रूप से अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर के नाम से भेजा का सकता है। (डाक द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात बिलंब से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे।)

3. आवेदन पत्र के साथ चाहे गए दस्तावेजो की प्रमाणित (स्वयं के द्वारा प्रमाणित) छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

4. न्यूनतम 50 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के पश्चात ही उस पाठ्यक्रम को प्रारंभ किया जाना संभव हो सकेगा।

5. यद्यपि सभी पाठ्यक्रम रोजगारोन्मुखी है, फिर भी महाविद्यालय किसी भी छात्र–छात्रा को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु जिम्मेदार नहीं होगा।